

फर्द अहकाम
 धर्मेश बनाम सुरेश
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 79/2024

प्राप्त

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	14/5/26	<p>पञ्जावली पेक्षा हुई वहील उभयपक्षा उफो वहील उभयपक्षा की प्राप्ति आल्यामी निधेमा पर वहेस की गमी वहील उभयपक्षा की वहेस सुनी गमी। वास्ते उपरि आडिखा हेतु पञ्जावली दिनांक 21/5/26 की पेक्षा हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>
	21/5/26	<p>पञ्जावली पेक्षा हुई वहील उभयपक्षा उपस्थित वहील उभयपक्षा की वहेस पर मनन कितागामी पञ्जावली का आवलोकन किता गमी अवलोकन उपरान्त मूल वाड के निस्तारण एक दोनो पक्षों को पाबन्द किता जाना उपरि सम्भवते है।</p> <p>अतः दोनो पक्षों के विवादग्रस्त भूमि काठ रकब नं० 1218/3.25 है से बने नमे रकब नं० 1367/1218 रकबा 2.79 है व रकब नं० 1366/1218 रकबा 0.46 है से से 0.43 है भूमि वाडे ग्राम साईवाड तहसील आधुना जिला जयपुर में मूल वाड के निस्तारण एक पाबन्द किता जाता है कि वह भौके एवं राजस्व बिकार्ड की अथास्थिति बनाते रहे। पञ्जावली फैसल सुनार होकर मूल वाड के सम्पत्ति रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>